भारत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार और रिट याचिकाएँ

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, जलवायु कार्यकर्ता **सोनम वांगचुक** की पत्नी ने सर्वोच्च न्यायालय में **बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका** (Habeas Corpus) दायर की। यह याचिका उनकी **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980** के तहत की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए दायर की गई। वांगचुक लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और उसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की माँग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी ने एक बार फिर **रिट अधिकार क्षेत्र** और **अनुच्छेद 32 व 226 के तहत गारंटीकृत संवैधानिक उपचारों** को चर्चा का विषय बना दिया है।

Wangchuk's wife moves top court against his arrest under NSA

Wangchuk is accused of instigating Ladakh mob

Source – Indian Express (4 Oct 2025)

रिटों का संवैधानिक आधार

- **अनुच्छेद 32**: सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसे *"संविधान का हृदय और आत्मा"* कहा था।
- **अनुच्छेद 226**: उच्च न्यायालयों को न केवल मौलिक अधिकारों के लिए, बल्कि किसी भी अन्य कानूनी अधिकार की रक्षा हेतु भी रिट जारी करने का अधिकार है।
- **न्यायिक समीक्षा**: रिट क्षेत्राधिकार कानून के शासन को सुनिश्चित करता है और राज्य की मनमानी को रोकता है। यह **मूल संरचना सिद्धांत** का हिस्सा है (केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973)।

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

भारत में रिट के प्रकार और उनका दायरा

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus – "शरीर प्रस्तुत करो")

- **उद्देश्य**: किसी व्यक्ति को गैरकानूनी हिरासत से मुक्त कराना।
- **जारी किया जा सकता है**:
  - राज्य प्राधिकरणों के विरुद्ध।
  - निजी व्यक्तियों के विरुद्ध (यदि अवैध हिरासत साबित हो)।
- **जारी नहीं होगा जब**:
  - हिरासत वैध हो (जैसे किसी वैध कानून के अंतर्गत निवारक निरोध)।
  - सक्षम न्यायालय द्वारा आदेशित हिरासत।
- **प्रमुख मामला**: *ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976)* – आपातकाल के दौरान इस अधिकार को निलंबित किया गया था, लेकिन *मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)* और *पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)* में इसे पुनः मजबूत किया गया।

2. परमादेश (Mandamus – "हम आदेश देते हैं")

- **उद्देश्य**: किसी सरकारी अधिकारी, निकाय या निचली अदालत को उसके वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य करना।
- **जारी किया जा सकता है**:
  - सार्वजनिक प्राधिकरणों, सरकारी विभागों, वैधानिक निकायों या कानून द्वारा निर्मित निगमों के विरुद्ध।
- **जारी नहीं किया जा सकता**:
  - निजी निकायों या व्यक्तियों के विरुद्ध।
  - विवेकाधीन कार्यों के मामले में।
  - राष्ट्रपति या राज्यपालों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के संबंध में।

IAS-PCS Institute

3. निषेध (Prohibition)

- **उद्देश्य**: किसी उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत/न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने या अवैध कार्यवाही करने से रोकना।
- **जारी किया जा सकता है**:
  - न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों के विरुद्ध।
- **जारी नहीं किया जा सकता**:
  - प्रशासनिक निकायों या विधायी कार्यों के विरुद्ध।

4. प्रतिषेध/प्रमाणित आदेश (Certiorari)

- **उद्देश्य**: निचली अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर दिए गए या प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध पारित आदेशों को रद्द करना।
- **जारी किया जा सकता है**:
  - न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों के विरुद्ध।
- **जारी नहीं किया जा सकता**:
  - पूरी तरह से प्रशासनिक कार्यवाहियों के विरुद्ध।
- **प्रमुख मामला**: *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह (1958)* – प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करने वाले निर्णय के विरुद्ध Certiorari जारी किया गया।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी

5. अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto – "किस अधिकार से")

- **उद्देश्य**: यह जांचना कि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर वैध अधिकार से बैठा है या नहीं।
- **जारी किया जा सकता है**:
  - संविधान या कानून द्वारा बनाए गए किसी वास्तविक सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध।
- **जारी नहीं किया जाएगा जब**:
  - पद निजी प्रकृति का हो।
  - पद अस्थायी, गैर-वैधानिक या औपचारिक हो।

सर्वोच्च न्यायालय बनाम उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार

विशेषताएँ	सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32)	उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226)
उद्देश्य	केवल मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन	मौलिक अधिकारों + अन्य कानूनी अधिकारों का प्रवर्तन
क्षेत्रीय दायरा	पूरे भारत में लागू	संबंधित उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय सीमा तक
प्रकृति	मौलिक अधिकार स्वयं में (इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता)	विवेकाधीन शक्ति (अस्वीकृत किया जा सकता है)
पहुँच	सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक	सुलभता, कम खर्च और शीघ्रता के कारण प्रायः प्राथमिक विकल्प

IAS-PCS Institute

समकालीन प्रासंगिकता और मुद्दे

- **निवारक निरोध बनाम स्वतंत्रता:** NSA और UAPA जैसे कानूनों के तहत गिरफ्तारियाँ अक्सर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को जन्म देती हैं, जो सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन पर प्रश्न उठाती हैं।
- **न्यायिक बोझ:** बड़ी संख्या में रिट याचिकाएँ अदालतों में लंबित मामलों को बढ़ाती हैं।
- **सुगम्यता:** हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए रिट न्याय तक पहुँच का एक प्रभावी साधन है।
- **दुरुपयोग की आशंका:** बार-बार और मनमाने ढंग से निवारक निरोध का प्रयोग मौलिक अधिकारों की भावना को कमजोर कर सकता है।

रिट अधिकार क्षेत्र का महत्व

- मौलिक अधिकारों को व्यावहारिक और प्रवर्तनीय बनाता है।
- कार्यपालिका और विधायिका की अति पर नियंत्रण रखता है।
- न्यायिक समीक्षा द्वारा संवैधानिक सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है।
- लोकतंत्र और नागरिक सशक्तिकरण को मज़बूत करता है।

Result Mitra रिजल्ट का साथी

निष्कर्ष

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे की नींव है। यह सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकार केवल घोषणाएँ न होकर, व्यावहारिक रूप से लागू होने वाली गारंटी हों। सोनम वांगचुक मामले में दायर हालिया बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका ने यह दर्शाया कि रिट अधिकार क्षेत्र नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कितना आवश्यक है। ऐसे समय में जब राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच टकराव अक्सर देखने को मिलता है, रिट क्षेत्राधिकार न्यायपालिका के हाथों में संविधान की आत्मा को सुरक्षित रखने का सबसे सशक्त उपकरण है।